12.31 hrs.

RE. POINTS OF ORDER

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On a point of order, under rule 376(2)—I am following your directions given yesterday, to which even my hon. friend, Shri S. M. Banerjee, reluctantly agreed, that it will come into force from today. Sub-rule (2) says that a point of order with regard to the arrangement of business before the House can be raised at any time.

Mr. Speaker: But with my permission.

Shri Hari Vishnu Kamath: Of course.

Mr. Speaker: First, he should get my permission. Then I will give him time afterwards.

Shri Hari Vishnu Kamath: The proviso says it can be raised. Will you kindly see the proviso to sub-rule (2). It says:

> "Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between......"

Mr. Speaker: Yes, I know that, I have read it. I referred to that rule the other day, but I am telling him: let me have this first, and I will give him an opportunity.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा की कार्यवाही चलाने के नियम 376(1) के अनुसार एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस में

> "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of those rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House . . ."

मैं आप के सामने नियम 357 और 352 को रखना चाहता हूं, जिन के मतलब को समझना है । नियम 357 को मैं पहले पढ़ देता हूं । इस नियम के अनुसार, किसी भी सदस्य को एक निजी सफ़ाई देने का अधिकार है, चाहे सदन के सामने वह सवाल न भी हो । कहिये, तो मैं नियम 357 को पढ़ दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन को समझ गया हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : दूसरा नियम है, 352, जिस में लिखा है कि जब एक सदस्य बोल रहा हो, तो वह किसी अन्य सदस्य के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकता । उस मे कहा गया है :—

> "A member while speaking shall not— . . .
>
> (ii) make a personal charge against a member;"

मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि जनसंघ के कुछ माननीय सदस्यों ने कल तीन चार बार—और अक्सर—हम कई लोगों पर यह आरोप लगाया कि हम सस्ती प्रसिद्धि के लिए यहां कार्यवाही करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : चीप पब्लिसिटी ।

डा० राम मनोहर लोहिया: चीप पब्लिसिटी माने सस्ती प्रसिद्धि । महंगी प्रसिद्धि कितनी होती है, उस बात को छोड़ दीजिए ।

इस के दो पहलू है । एक पहलू तो हमारे दिमाग का है —कि हमारी नीयत कैसी है : यह कि हम यहां पर जो कार्यवाही करते हैं, उस से हमारा नाम मशहूर हो । अगर मैं इस सवाल को उठाना चाहता, तो इन सदस्यों के खिलाफ़ कार्यवाही कराने के लिये इतना ही काफ़ी होता, क्योंकि आखिर इनको हमारी नीयत का कैसे पता चल गया ? और अगर हम इन की नीयत को ढूंढने लग जायें, तो मामला कुछ गड़बड़ हो जायेगा न ?

उस के साथ साथ मैं दूसरा सवाल उठाता हूं—नीयत का नहीं, बल्कि परिणाम का—

कि क्या हमारे काम को देखते हुए सचमुच हम लोगों को उपर्युक्त प्रसिद्धि मिलती है या औरों को मिल जाया करती है । कल का ही जिक्र ले लीजिए । जहां तक प्रसिद्धि का सवाल है, कहीं किसी अखबार में मैं ने नहीं देखा कि हम लोगों ने क्या बात उठाई । और मैं आप से यह बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि नाम तो आप चाहे जिस दल के छपवा दिया करें, लेकिन बात हमारी छपवाया करें । हम में और दूसरे उन दलों में, जो अपने आप को विरोधी कहते है, फ़र्क यही है कि वे अपने नाम छपवाने को आकुल रहते हैं, जब कि हम अपनी बात छपवानेको आकुल रहते है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न तो मुख्तसरन आना चाहिए । आप मुझ से क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं यह चाहता हूं कि "सस्ती प्रसिद्धि" के मामले में आप इस सदन की एक कमेटी बिठा दें, जो पता लगाये कि क्या ऐसे विरोधी दलों को ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है, जो सरकार के साथ मिली कुश्ती करते हैं, या हम लोगों को मिलती है, जो सरकार का सीधा विरोध करते है, हालांकि यह सभ्य होता है । इस कमेटी के द्वारा यह अपने आप पता चल जायेगा । या आप स्वयं इस बात का पता लगायें ।

और अगर नीयत का पता लगाना है, तो मैं आप से इतना कहना चाहता हूं कि मैं आजकल खुद बहुत दुखी हूं कि एक वक्ती तौर पर जनसंघ वाले मुझ से नाराज है-- मैं आशा करता हूं कि जनसंघ वाले आखिर तक मुझ से नाराज नहीं रहेंगे । और यह वक्ती नाराजगी है--, लेकिन इस वक्ती नाराजगी को अगर आप नीयत के हिसाब से भी ले लें, तो आप इस पर भी एक कमेटी बिठा दें कि क्या इस में "काशी" बनाम "हिन्दू" का मामला आ जाता है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): रूल 41 के अन्तर्गत मेरा पायंट आफ़ आर्डर है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इनसिनुएशन ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय सदस्य, डा० लोहिया, के बारे में मेरे मन में बड़ी इज्जत है, लेकिन वह कभी कभी सीधे न चलते हुए टेढ़े चल जाते है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास): यह पुराना स्वभाव है उनका ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस से दुःख होता है । अब उन्होंने आप पर यह आरोप लगाया है कि आप नाम छपवाते है । हम को तो यह कभी मालूम नही था कि स्पीकर साहब, यानी हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे या उन के नाम किसी अखबार में छपवाते है । यह बात उन्होंने आप के ऊपर एक लांछन के रूप में कही है । इस तरह का इम्पुटेशन नही होना चाहिए । हमारे बारे में उन को जो कुछ कहना हो, उस के लिए उन को पूरी छूट है । उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है । हम उन से निपट सकते है । (*Interuptions*).

डा० राम मनोहर लोहिया : लाल बहादुर जी की मदद से —वैसे नही निपट सकते हैं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : बगैर किसी की मदद के निपट सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : इन दोनों को बाहर भेज दीजिये, ताकि ये एक दूसरे से निपट सकें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जैसे ये स्वयं कांग्रेस-समर्थक लोगों की मदद लेते है, वैसे ही ये दूसरों को भी समझते है ।

अध्यक्ष महोदय : यह गोठीक है कि अब मेम्बर साहबान को एक दूसरे के खिलाफ़ कहना

[अध्यक्ष महोदय]

हो, तो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कहना ही चाहिये । मैं इस से इत्तिफ़ाक करता हूं ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : इस तरह बीच में बोलना ठीक नहीं है । जब मैं बोल रहा हूं, तो माननीय सदस्यों को ख़ामोश रहना चाहिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इसलिए बोलते हैं, ताकि फिर अखबार में आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब ने कहा कि मैं नाम दूसरों का छपवा दिया करूं और मजमून, सब्जेक्ट, उनका छपवा दिया करूं । न मैं डायरेक्टर आफ़ पब्लिसिटी हूं और न मैं इन्फ़र्मेशन आफ़िसर हूं । मेम्बर साहबान को तो सेंट्रल हाल में जा कर कारेसपांडेंट्स से मिलने का मौका मिल जाता है और कई साहब—मैं किसी के बरखिलाफ़ नहीं कह रहा हूं, कोई मुझ से नाराज न हों,—तो यहां स्पीच देते हो वहां चले भी जाते हैं, लेकिन मुझे तो मौका नहीं मिलता कि मैं जा कर किसी से बात कर सकूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वे यहां भी ऊपर देख कर भाषण करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बात कहना निहायत नामुनासिब है । किसी का नाम छपवाने या न छपवाने में मेरा कोई दखल नहीं है ।

मैंने कल खुद जो कुछ कहा था, वह अखबार वालों के लिए था—और यह मेरी अपनी राय है—कि यहां पर प्रेस को तमाम फ्रीडम है, लिबर्टी है, उस में कोई दखल नहीं दे रहा है, न गवर्नमेंट देती है और न मैं दे रहा हूं, लेकिन यह बात देख कर दिल में दुख जरूर होता है, अफसोस जरूर होता है कि जब यहां कोई ऐसा हादसा हो कि स्पीकर का कहा नहीं माना गया, तो बेनर हेडलाइन्ज आती है और जब कोई अच्छी स्पीच हो, तो कहा जाता है, "ही आल्सो स्पोक" ।

प्रेस को हमारी तो अपील ही हो सकती है कि सब बातें फेयर और जिम्मेदाराना तरीके से आनी चाहिएं । मैं कल मेम्बर साहबान को कह रहा था, लेकिन मेरी वह अपील प्रेस की तरफ मुखातिब थी कि वे इस बात को समझें कि इस बारे में शिकायत रहती है । अब वे मालिक हैं कि जिस तरह से वे चाहें, करें ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि कल लांछन लगाया गया है कि वे चीप पब्लिसिटी के लिए कार्यवाही करते हैं । यह तो किसी की राय हो सकती है और मैं उस को रोक कैसे सकता हूं ? इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात चलते हैं । मैं यही कह सकता हूं, कि किसी पर इस तरह के इल्जामत सोच कर लगाए जायें, ऐसे ही न लगाए जायें । लेकिन अगर किसी पर ऐसा इम्प्रैशन क्रीएट हो, तो यह इस की अपनी जिम्मेदारी है । चूंकि उस के मन पर ऐसा असर होता है, इस लिए वह उस को कहता है । यह कोई ऐसी बात नहीं है, जिस में मैं रूल्ज के नीचे यह फैसला दे सकूं कि आगे कोई माननीय सदस्य यह नहीं कहेगा कि **सो एंड सो इज जस्ट स्पीकिंग टू दि गैलरीज** । यह तो सभा में और सोसायटी में और पार्लियामेंट में आम तौर पर कई दफा कहा गया है । इस में मैं और कुछ नहीं कह सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कार्रवाई से निकलवा क्यों दिया ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : हिन्दी के हिन्दुस्तान में पहले पेज पर यह चीज आई है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप अपने खुद के कार्य को देखें । आपने कार्रवाई में

से वह सस्ती प्रशस्ति निकलवा क्यों दी अगर आपने उसको अनुपयुक्त नहीं समझा ? मैं फिर अर्ज करता हूं कि हमें अपना नाम नहीं चाहिये, बात चाहिये । बात नहीं छपी है अखबार में । खाली नाम छपे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे न कहें, प्रेस वालों से कहें । अगर नहीं चाहिये तो उनको कहें . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : अखबार वाले आप से डरते है ।

अध्यक्ष महोदय : अजीब बात है कि मुझ से अखबार वाले डरते हैं । मेरे पास कौन सा ऐसा . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : विशेषाधिकार वाला बहुत जबर्दस्त . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Sir, the session is coming to a close an generally calling attention and short notice questions are allowed liberally. Actually some very important questions have come up but you have disallowed them. May I request you, before the session closes tomorrow, to allow at least tomorrow some of these questions to be answered.

Mr. Speaker: I will look into them, what these questions are and I will certainly see.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I want your permission to raise a point of order under rule 376. The point of order relates to the rights of Member. You have disallowed the calling attention notice on the PTI strike.

Mr. Speaker: I am not prepared to discuss that, what I have disallowed. Shrimati Renu Chakravartty has drawn my attention to it and I will look into that.

Shri S. M. Banerjee: I want to submit to you about the interpretation of the rules. Am I not entitled to say something about this? It is going on throughout the country . . . (*Interruptions*).

Mr. Speaker: No, not about the rejection of the call attention notice.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): We give notices much earlier and if we get your rejection or some other reply earlier, we can, as you often say, please come and discuss if you are not satisfied with it, come and discuss it with you. We gave notice yesterday. Just at this moment, when the question hour is going on, we are intimated that our call attention notice regarding the PTI strike has been disallowed. How can we go and approach you now; the strike has already started and we gave the notice yesterday, twenty hours before . . . (*Interruptions*).

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरी बात सुन कर सबका आप एक साथ जवाब दे दें । राज्य सभा और लोक सभा दोनों में एक ही किस्म के ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव दिये जाते हैं । कई ऐसे मौके आते हैं कि यहा तो उनको नामंजूर कर दिया जाता है लेकिन वहां उनको मंजूर कर लिया जाता है और उनका जवाब भी आ जाता है । मेरा निवेदन है कि इस लोक सभा का ज्यादा महत्व है और यहां ऐसा ढंग नहीं बरता जाना चाहिये कि वहां पहले चेंज आ जाए और यहां न आने पावे ।

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): I have a submission to make—not with regard to this. Yesterday I found in the newspaper that a question was allowed in the Rajya Sabha regarding the closure of the textile mills. I along with some others gave notice and I want to know why it was not allowed here?

Mr. Speaker: Mr. Kamath says that that information has come in the

[Mr. Speaker]

Press; that is why I have rejected. I have to act independently. Supposing notices are received the same morning here also and there also, we have no consultation by which I and the Presiding Officer of that House sit together and decide what is to be admitted and what is not to be admitted. The hon. Members also must appreciate that they are half the number of the Lok Sabha, less than half; they want work for the time that they have and we want time for the work that we have. Hon. Members do not seem to realise that . . . (*Interruptions*). All the other procedures have been made the same as we have. Therefore, they will have naturally that advantage It is an independent House, sovereign House. I cannot interfere in their affairs.

Shri Bhagwat Jha Azad: But on general policies there should be some uniformity; it cannot be diametrically opposite, the two Houses.

Shri Dinen Bhattacharya: The Prime Minister is responsible to this House and not to the other House. How can he reply there and not here?

Mr. Speaker: If a notice is admitted there, the Minister has to reply there. How can he refuse to reply there? Do hon. Members suggest some super authority over these two presiding officers who may ultimately decide that this should be done for both?

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): If it so happens, Sir, that the Minister concerned accepts a short notice question for the other House and refuses to accept a short notice question more or less to the same effect in this House, it is a matter which should be looked into.

Mr. Speaker: That is a different thing altogether.

Shri H. N. Mukerjee: It seemes to be the same.

Mr. Speaker: If it is a question about the short notice question, certainly I will look into it . . . (*Interruptions.*)

Shri S. M. Banerjee: Supposing a matter of urgent public importance like the PTI strike comes in the Rajya Sabha, what is our position? Kindly protect our interest. The president of the employees' association is Mr. Amarnath Vidyalankar, a member of this House. We have lent our support to their efforts and we wanted to avert the crisis but that has taken place unfortunately. The big business houses are controlling it.

Shri Hari Vishnu Kamath: Over 1000 employees are affected.

Shri Bhagwat Jha Azad: Apart from the merits of the case, I am suggesting only one thing. Your reply to us on such occasions had been to meet you. Now it is not possible for me to meet you. I am only putting this question. We gave the call attention notice yesterday. As you say, if I had met you possibly you could have discussed with me in the Chamber. I gave notice of the PTI strike, an important matter. It has already started in this country. I was communicated the information of rejection just during the question hour. How can I come and discuss with you. If it had come earlier, possibly I would have been able to put before you certain points which possibly would have given you further light on this matter to consider that decision.

Mr. Speaker: It is possible that it might have happened. The hon. Member should realise that the question, the call attention notice, in the present case, was received in the afternoon. Certainly I am to be execused when I am not there at every moment, that as soon as it is received I can look it up. That is to be considered as having been received on the next day because I consider it only

in the morning from 10 A.M. to 11 A.M. I am here; I am here till the last moment when the Marshal ushers me in I am receiving the notices and considering them. Where is the earlier occasion when I can inform the hon. Members because I am considering them till 11 O'clock. Therefore, the only occasion that comes is when the question hour is going on. There is no other alternative for me. If he could suggest some remedy, I am prepared to consider them and see if a better procedure could be evolved.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मेरी बात भी सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : पचास मिनट इस में चले गये हैं ।

... लिमये : मैं अपने आप बोलता ... आपकी आज्ञा से बोलता हूं । कभी ऐसे नहीं बोलना शुरू कर देता हूं ।

आपने कहा है कि यह जो मसला है इस पर आप अल्प-सूचना प्रश्न दीजिए और आप उस पर विचार करेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दो अल्पसूचना प्रश्न मंजूर हो गए थे लेकिन कल मुझ को बताया गया कि दो में से एक आपको चुनना है, जो स्वीकृत हुए हैं उन में से एक को चुनना है । अब नया कैसे आएगा ? कल सत्र समाप्त होने जा रहा है । यह पी० टी० आई० का मामला है, उड़ीसा में बच्चों की बिक्री का सवाल है । मेरी विनती है कि एक दो ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव आप मंजूर कर लें ।

अध्यक्ष महोदय: कितने कर सकता हूं? सारे मामले को आप देखें । दो से ज्यादा तो कोई मानने नहीं रखता है । कितने मैं शार्ट नोटिस क्वेश्चन लूं ? पांच, सात, दस रख दूं ? यह कैसे मुमकिन हो सकता है । दो से अधिक नहीं रख सकता हूं । मैं यही कर सकता हूं कि अगर कोई जरूरी समझ और यह समझूं कि इसका आंसर आना चाहिए तो जैसे मैंने कह रखा है, जैसे पहले फैसला दे रखा है, उनके आंसर्ज के लिए मिनिस्टर साहब से कहूं कि वे टेबल पर ले कर दें ।

श्री बागड़ी : एक तरीके की बात आप से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, साहब ।

12.50 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER KERALA GOVERNMENT LAND ASSIGNMENT ACT, AMENDMENTS TO KERALA LAND ACQUISITION RULES, AND FOREST SETTLEMENT RULES.

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): On behalf of Shri C. Subramaniam, I beg to lay on the Table—

(1) a copy each of the following Notifications under sub-section (3) of section 7 of the Kerala Government Land Assignment Act, 1960, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala:—

(i) The Kerala Land Assignment Rules, 1964, published in Notification S.R.O. No. 71/64 in Kerala Gazette dated the 25th March, 1964.

(ii) The Rules for the implementation of the Centrally sponsored scheme of settlement of landless agricultural labourers on Government Porambokc lands, published in Notification No. 50513/A3/62/RD in Kerala Gazette dated the 22nd October, 1963.

(iii) The Rules for the assignment of Government lands